



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 1994/कार्तिक 18, 1916

No. 460]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 1994/KARTIKA 18, 1916

गृह मंत्रालय,

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1994

सा.का.नि. 794(अ).—राष्ट्रपति, अंडमान और निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 185 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें अवधारित करने के लिए निम्न-लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंडमान और निकोबार द्वीप (निर्वाचन आयुक्त की सेवा-शर्तें) नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से उक्त विनियम की धारा 185 के अधीन स्थापित अंडमान और निकोबार द्वीप, दमण

और दीव, दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक ही निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "निर्वाचन आयुक्त" से अंडमान और निकोबार द्वीप, दमण और दीव, दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक ही निर्वाचन आयुक्त अभिप्रेत है।

3. पदावधि :—

निर्वाचन आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, छह वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु जहां निर्वाचन आयुक्त छह वर्ष की उक्त अवधि के समाप्त होने के पूर्व पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, वहां वह उस तारीख को, जिसको वह उक्त आयु प्राप्त कर लेता है, अपना पद रिक्त करेगा :

परन्तु यह और कि निर्वाचन आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा।

4. वेतन और भत्ते :

निर्वाचन आयुक्त प्रतिमास 8000/- रु. (केवल आठ हजार रुपए) वेतन और ऐसे अन्य भत्ते, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी सदस्य को अनुज्ञेय हैं, लेगा :

परन्तु यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो निर्वाचन आयुक्त के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से ठीक पूर्व, सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत (निःशुल्कता या क्षति पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन प्राप्त कर रहा था, या ऐसा करने का पात्र होने पर लेने का चयन किया था, तो उसका निर्वाचन आयुक्त के रूप में सेवा की बाबत वेतन,—

(क) उस पेंशन की रकम तक; और

(ख) यदि उसने, पद ग्रहण करने के पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा की बाबत उसको शोध्य पेंशन के एक भाग के बदले में उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया था तो, पेंशन के उस भाग की रकम तक, कम कर दिया जाएगा।

5. छुट्टी :

(1) ऐसे व्यक्ति को, जो, निर्वाचन आयुक्त के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से ठीक पूर्व, सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में था, पदावधि के दौरान न कि उसके पश्चात्, उस सेवा को, जिसका वह ऐसी तारीख से पूर्व अंग था, लागू तत्समय नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जा सकेगी और वह, ऐसे नियमों में अधिकृत सीमाओं या शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसी तारीख को, उसके खाते में जमा छुट्टी की मात्रा को अग्रणीत करने का हकदार होगा।

(2) किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, ऐसे नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जा सकेगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी सदस्य को तत्समय लागू हैं।

(3) निर्वाचन आयुक्त को छुट्टी मंजूर या नामंजूर करने या उसको मंजूर की गई छुट्टी को प्रति-संहत या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।

6. पेंशन :

(1) ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो निर्वाचन आयुक्त के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से ठीक पूर्व सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में था, उस तारीख को सेवा से निवृत्त हो गया समझा जाएगा जिसको वह निर्वाचन आयुक्त के रूप में पद ग्रहण करता है, किन्तु उसकी निर्वाचन आयुक्त

के रूप में पश्चात्वर्ती सेवा की उस सेवा में जिस का वह अंग था, पेंशन के लिए गणना करते समय निरन्तर अनुमोदित सेवा के रूप में संगणना की जाएगी।

(2) सिवाय वहां के, जहां निर्वाचन आयुक्त पद को त्यागपत्र देकर छोड़ता है, यह समझा जाएगा कि उसने, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, तब और केवल तब, पद को छोड़ा है, जब—

(क) उसने नियम 3 में विनिर्दिष्ट पदावधि पूरी कर ली है;

(ख) उसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है; या

(ग) उसके द्वारा पद का छोड़ा जाना, चिकित्सक दृष्टया रूप में यह प्रमाणित हो गया है कि खराब स्वास्थ्य के कारण आवश्यक हो गया था।

7. भविष्य निधि :

(1) ऐसा निर्वाचन आयुक्त, जो आयोग में नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में था और जिसे साधारण भविष्य निधि या अभिदायी भविष्य निधि के फायदों में सम्मिलित कर लिया गया था, उसकी सेवा में उसको लागू नियमों के अनुसार उस निधि में उस तारीख तक, जिसको वह सेवानिवृत्त होता है, अभिदाय जारी रख सकेगा। अभिदायी भविष्य निधि की दशा में, उस निधि में संदेय नियोजक का अभिदाय, आयोग में उसकी नियुक्ति की तारीख से ही, निर्वाचन आयुक्त के रूप में उसकी नियुक्ति की अवधि के दौरान आयोग द्वारा संदेय होगा।

(2) ऐसा निर्वाचन आयुक्त, जो अग्रणी नियुक्ति के समय :—

(i) केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में था और उसने उस सेवा को जिसका वह ऐसी नियुक्ति के पूर्व अंग था, लागू नियमों के अधीन अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे लेने का विकल्प किया था; या

(ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार किसी स्थानीय निकाय या यथास्थिति, सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्णतः या सारतः स्वामित्व वाले या उसके द्वारा नियंत्रित अन्य प्राधिकरण के अधीन सेवा से निवृत्त हो गया था; या

(iii) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या यथास्थिति, सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्णतः या सारतः स्वामित्व वाले किसी अन्य प्राधिकरण की सेवा में नहीं था,

अभिदायी भविष्य-निधि स्कीम के फायदों में सम्मिलित किए जाने का हकदार होगा और वह इस प्रयोजन के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित अभिदायी भविष्य निधि नियम, 1962 द्वारा शासित होगा।

8. सेवा की अन्य शर्तें :

इन नियमों में जैसा अन्यथा उल्लिखित है, उसके सिवाय, यात्रा भत्ता, निवास, सवारी सुविधाओं, सत्कार भत्ता, चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित सेवा की शर्तें और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो समतुल्य श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी सदस्य को तत्समय लागू हैं :

परन्तु वह निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति पर, अपने मामूली तौर से निवास करने वाले स्थान से कर्तव्य के लिए रिपोर्ट करने वाले स्थान तक समतुल्य श्रेणी के किसी अधिकारी के स्थानान्तरण के समान यात्रा भत्ते का हकदार होगा :

परन्तु यह और कि निर्वाचन आयुक्त, पद छोड़ने के समय, अपना कार्यभार सौंपने के स्थान से अपने मामूली तौर से निवास करने वाले स्थान तक समतुल्य श्रेणी के किसी अधिकारी के समान स्थानान्तरण यात्रा भत्ते का भी हकदार होगा।

[फा. सं. 11022/2/94-यू. टी. एल.]

आर. आर. शाह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 1994

G.S.R. 794(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 185 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994, the President hereby makes the following rules to determine the conditions of service of the Election Commissioner, namely :—

1. Short title and commencement :

(1) These rules may be called the Andaman and Nicobar Islands (Election Commissioner's Conditions of Service) Rules, 1994.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :

In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Government" means the Central Government;

(b) "Commission" means the common Election Commission for the Union territories of the Andaman and Nicobar Islands, Daman and

Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep, appointed under section 185 of the said Regulation;

(c) "Election Commissioner" means the common Election Commissioner for the Union territories of the Andaman and Nicobar Islands, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep.

3. Term of Office :

The Election Commissioner shall hold office for a term of six years from the date on which he assumes his office :

Provided that where an Election Commissioner attains the age of sixty five years, before the expiry of the said term of six years, he shall vacate his office on the date on which he attains the said age :

Provided further that, an Election Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the President, resign his office.

4. Salary and allowances :

The Election Commissioner shall draw a salary of Rs. 8,000/- (Rupees eight thousand only) per month and such other allowances as are admissible to a member of Indian Administrative Service :

Provided that if a person who, immediately before the date of assuming office as the Election Commissioner, was in receipt of, or being eligible so to do, had elected to draw, a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government or the Government of State, his salary in respect of service as the Election Commissioner shall be reduced—

(a) by the amount of that pension; and

(b) if he had, before assuming office, received in lieu of a portion of a pension due to him in respect of such previous service, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension.

5. Leave :

(1) A person who, immediately before the date of assuming office as Election Commissioner, was in service of Government or the Government of State may be granted during the tenure of office but not thereafter, leave in accordance with the rules for the time being applicable to the service to which he belonged before such date and he shall be entitled to carry forward the amount of leave standing at his credit on such date, subject to the limits or conditions laid down in such rules.

(2) Any other person who is appointed as the Election Commissioner may be granted leave in accordance with such rules as are for the time being applicable to a member of the Indian Administrative Service.

(3) The power to grant or refuse leave to the Election Commissioner and to revoke or curtail leave granted to him, shall vest in the President.

6. Pension :

(1) A person who, immediately before the date of assuming office as the Election Commissioner, was in service of Government or the Government of a State shall be deemed to have retired from service on the date on which he enters upon office as the Election Commissioner but his subsequent service as the Election Commissioner shall be reckoned as continuing approved service counting for pension in service to which he belonged.

(2) Except where the Election Commissioner demits office by resignation, he shall be deemed, for the purpose of these rules, to have demitted office if, and only if,—

- (a) he has completed the term of office specified in rule 3;
- (b) he has attained the age of 65 years; or
- (c) his demission of office is medically certified to be necessitated by ill health.

7. Provident Fund :

(1) An Election Commissioner, who on the date of his appointment to the Commission, was in the service of the Central or State Government and who had been admitted to the benefits of General Provident Fund or Contributory Provident Fund, may continue to subscribe to that Fund until the date on which he retires according to rules applicable to him in his service. In the case of Contributory Provident Fund, the employers' contribution payable to that Fund shall, as from the date of his appointment to the Commission, be payable by the Commission during his tenure of appointment as an Election Commissioner.

(2) An Election Commissioner, who, at the time of his appointment :—

- (i) was in service of the Central or State Government and had opted to draw his pension

and other retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged prior to such appointment; or

- (ii) had retired from service under the Central or State Government, a local body or other authority wholly or substantially owned or controlled by the Government or the Government of a State, as the case may be; or
- (iii) was not in the service of the Central or State Government or a local body or any other authority wholly or substantially owned by Government or the Government of a State, as the case may be;

shall be entitled to be admitted to the benefit of the Contributory Provident Fund Scheme and for this purpose shall be governed by the Contributory Provident Fund Rules, 1962 as amended from time to time.

8. Other conditions of service :

Save as otherwise provided in these rules, the conditions of service relating to travelling allowance, residence, conveyance facilities, sumptuary allowance, medical facilities and other conditions of service shall be as are, for the time being, applicable to a member of the Indian Administrative Service of equivalent grade :

Provided that for taking up his initial appointment as Election Commissioner, he shall be entitled to travelling allowance as on transfer of an officer of an equivalent grade from the place of his ordinary residence to the place of reporting for duty :

Provided further that the Election Commissioner shall also be entitled to transfer T.A. as an officer of equivalent grade at the time of demitting office from the place of his handing over to the place of his ordinary residence.

[F. No. 11022/2/94-UTL]
R. R. SHAH, Jt. Secy.